प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1009/2020

प्रभागीय प्रबंधक, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जी. ई. प्लाजा एयरपोर्ट रोड यारवाड़ा पुणे, जिला पुणे (महाराष्ट्र) (बीमाकर्ता)

-- अपीलार्थी/अनावेदक संख्या 3

बनाम

1. श्रीमती. उर्मिला बाई पति मेसोरम बंधेकर

2. जनुक बंधेकर पिता घुनारी बंधेकर, आयु लगभग 73 वर्ष , निवासी दोनों गाँव धोबघट्टी, पी.एस. पांड्रिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़

---आवेदक/दावाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मोहम्मद खनीफ खान पिता मोहम्मदयसीम खान, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी गाँव मंझोली, पी एस. पंडतरई, तहसील पंडारिया, जिला कबीरधामछत्तीसगढ़. चालक (अनावेदक संख्या 1)

4. श्रवण कुमार चंद्रवंशी पिता राज्जुराम चंद्रवंशी, 22 वर्ष, निवासी गाँव मंझोली, पी एस पंडतरई, तहसील पंड्रिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़। मालिक (अनावेदक संख्या 2)

--उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :श्री राज अवस्थी, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 और 2 हेतु :श्री सुमित श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 3 और 4 हेतु : श्री जितेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता की ओर से सुश्री सीमा मिश्रा, अधिवक्ता

माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

02/07/2025

1. अपीलकर्ता–बीमा कंपनी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के तहत यह अपील दायर की है, जिसमें विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, (संक्षेप में "दावा न्यायाधिकरण") द्वारा दावा मामला संख्या 76/2018 में पारित दिनांक 17.02.2020 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने आवेदकों/दावाकर्ता द्वारा अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया और एक घातक दुर्घटना मामले में क्षतिपूर्ति के रूप में कुल ₹ 5,05,600/– की राशि प्रदान की और अनावेदकगण 1 से 3 पर संयुक्त रूप से और अलग–अलग देयता निर्धारित किया।

2. इस अपील के निराकरण के लिए सुसंगत मामले के तथ्य यह हैं कि 17.06.2018 को सुबह लगभग 8:00 बजे मेसोराम बांधेकर अपनी पत्नी उर्मिला बाई के साथ, अनावेदक संख्या 2/उत्तरवादी संख्या 4 के स्वामित्व वाले ट्रैक्टर क्रमांक CG 09/JE–7327 (इसके बाद से "आक्षेपित ट्रैक्टर") से खेत जोतने के लिए मंझोली खार कृषि क्षेत्र गए थे।अनावेदक क्रमांक 1/उत्तरवादी क्रमांक 3 ट्रैक्टर चलाकर खेत जोत रहा था, ऐसा करते समय उसने लापरवाही और उतावलेपन से ट्रैक्टर चलाया और नदी किनारे खेत के किनारे काम कर रहे मेसोराम बांधेकर को टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना हो गई।उक्त दुर्घटना में, आक्षेपित ट्रैक्टर मेसोराम बांधेकर पर गिर गया, जिससे मेसोराम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2/दावाकर्ता जो मृतक मेसोराम की विधवा और पिता हैं, ने अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत ₹ 15,50,000/– के क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि दुर्घटना की तिथि पर मृतक 54 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति था।वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला था।वह राजमिस्त्री का काम करता था और अपने खेत पर कृषि कार्य भी करता था और अपने और अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिए प्रतिदिन ₹ 500 कमाता था।

4. अनावेदक संख्या 1 और 2/उत्तरवादी संख्या 3 और 4 ने दावा आवेदन पर अपना संयुक्त जवाब दाखिल किया, जिसमें सभी प्रतिकूल तर्क को नकारते हुए आगे तर्क दिया गया कि खेत में ट्रैक्टर मोड़ते समय मृतक मेसोराम ट्रैक्टर के सामने आ गया और उसे बचाने के प्रयास में दुर्घटना हुई और उसकी मृत्यु हो गई।अनावेदक क्रमांक 1 ने वाहन चलाते समय और खेत जोतते समय लापरवाही नहीं बरती थी, दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई थी।

5. अपीलार्थी– अनावेदक क्रमांक 3/ बीमा कंपनी ने आवेदन में किये गये तर्क को नकारते हुए अपना जवाब दाखिल किया। आगे तर्क दिया गया है कि मृतक स्वयं दुर्घटना में लापरवाह था। यह भी कहा गया कि दुर्घटना की तिथि पर दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ट्रैक्टर चलाया जा रहा था।

6. विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क और साक्ष्यों की सराहना करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक मेसोराम बांधेकर की मृत्यु अनावेदक संख्या 1 द्वारा आक्षेपित ट्रैक्टर को

तेज और लापरवाही से चलाने के कारण हुई दुर्घटना में गंभीर चोटों के कारण हुई थी। बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन सिद्ध नहीं पाया गया, क्षतिपूर्ति की राशि की गणना की गई और दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 5,05,600/– का आदेश दिया गया।

7. अपीलकर्ता–बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य को स्वीकार नहीं करने में त्रुटि की, जिसमें दिखाया गया था कि दुर्घटना की तिथि पर, मृतक स्वयं दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर चला रहा था, उसके नीचे आ गया और चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।बीमा कंपनी ने इस संबंध में समाचार पत्र की क्लिप की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें दुर्घटना के तरीके का वर्णन करते हुए समाचार प्रकाशित किया गया है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि एन. ए. डब्ल्यू–3–1 अर्थात बीमा कंपनी के विधि अधिकारी के साक्ष्य में भी यह बात आई है कि दुर्घटना के समय मृतक, अपराधी ट्रैक्टर का चालक होने के कारण, तृतीय पक्ष की श्रेणी में नहीं आ सकता है।उन्होंने बीमा कंपनी के अन्वेषक श्री सनत क्षत्री, एनएडब्लू–3–2 के साक्ष्य का भी उल्लेख किया।उन्होंने अंत में तर्क दिया कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में अपीलकर्ता–बीमा कंपनी ने लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए सीपीसी के आदेश 11 नियम 12 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, हालांकि, वाहन के मालिक या चालक द्वारा लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।अपीलकर्ता के अधिवक्ता से प्रश्न पूछने पर बीमा कंपनी ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि आदेश 11 नियम 12 सीपीसी के तहत दावा न्यायाधिकरण के समक्ष बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मृतक के लाइसेंस को प्रस्तुत करने के संबंध में है। उन्होंने यह भी बताया कि आक्षेपित ट्रैक्टर के मालिक द्वारा प्रस्तुत स्वयं की क्षति का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दुर्घटना की दिनांक पर आक्षेपित ट्रैक्टर के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. संबंधित प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण का विरोध करते है और प्रस्तुत करते है कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय मामले के तथ्यों के अनुसार उचित और न्यायसंगत है, इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दावा मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

10. जहाँ तक अपीलकर्ता–बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए पहले आधार का संबंध है कि यह स्व–लापरवाही का मामला है क्योंकि दुर्घटना की तिथि पर मृतक ही आक्षेपित ट्रैक्टर चला रहा था, दावा आवेदन में किया गये तर्क के अवलोकन से पता चलता है कि दावेदारों ने दुर्घटना के तथ्यों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि दुर्घटना के समय उत्तरवादी संख्या 3/ अनावेदक संख्या 1 ने आक्षेपित ट्रैक्टर चलाते समय मृतक मेसोराम को टक्कर मार दी, जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहा था।तर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना के समय

मृतक ट्रैक्टर नहीं चला रहा था दावेदारों ने दावा आवेदन में किया गये तर्क के समर्थन में श्रीमती उर्मिला बाई को AW–1 के रूप में परीक्षित किया है।

11. अपीलकर्ता/अनावेदक क्रमांक 3–बीमा कंपनी ने अपने साक्ष्य में मोहम्मदखनीफ खान के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति एक्स डी1–सी के रूप में प्रस्तुत की है, जिसे दावा आवेदन में दुर्घटना के समय आक्षेपित ट्रैक्टर का चालक दिखाया गया है।लाईसेंस दिनांक 15.07.2008 को लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) के लिए जारी किया गया था और यह दिनांक 13.07.2028 तक वैध था जबकि दुर्घटना की तिथि 17.06.2018 है।हल्के वाहन चलाने के लिए अधिकृत लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति हल्के माल वाहन चला सकता है और यहां तक कि अपीलकर्ता–बीमा कंपनी के वकील द्वारा यह आधार नहीं उठाया गया है कि मोहम्मद खानिफ खान के पास आक्षेपित ट्रैक्टर चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अपीलकर्ता–बीमा कंपनी ने वाहन के मालिक अर्थात अनावेदक संख्या 2 को दिनांक 25.09.2018 को लिखा एक पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि स्वयं क्षति दावे में सही तथ्यों का तर्क नहीं दिया गया है और यह गलत तरीके से दिखाया गया है कि मोहम्मद खानिफ खान (अनावेदक संख्या 1) वाहन के नुकसान/क्षति के समय आक्षेपित ट्रैक्टर चला रहे थे।अन्वेषण रिपोर्ट की प्रति एक्स डी–8 के रूप में भी दाखिल की गई है। रिपोर्ट में केवल दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में दिनांक 18.06.2018 को प्रकाशित समाचार का उल्लेख है। अन्वेषक, श्री सनत क्षत्री, एनएडब्ल्यू–3–2, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उनकी रिपोर्ट दैनिक समाचार पत्र दिनांक 18.06.2018 में प्रकाशित समाचार लेख पर आधारित है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अन्वेषण के दौरान उन्होंने किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया है। हालाँकि, उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उन्होंने कोई लिखित बयान दर्ज नहीं किया है, न ही किसी व्यक्ति का मौखिक बयान लिया है और आगे कहा कि अखबार में प्रकाशित समाचार की प्रति के अलावा उन्होंने कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है।विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि समाचार पत्र की क्लिप को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता जिसके द्वारा तथ्य के आरोप को साबित किया जा सकता है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लक्ष्मी राज शेट्टी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य मामले (1988) 3 एससीसी 319 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :––**

"25. पहले मामले के संबंध में, अभियुक्त लक्ष्मी राज शेट्टी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपने बयान के साथ 29 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस और 30 तारीख के क्षेत्रीय समाचार पत्रों की समाचार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार था।दोनों अभियुक्तों ने अपने बचाव के चरण में आरोपों से इनकार करते हुए तमिल दैनिक मलाई मुरासु और मक्कल कुराल के संपादकों और इंडियन एक्सप्रेस और दीना थांथी के समाचार संवाददाताओं को समाचार में बताए गए तथ्यों की सामग्री को साबित करने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर अपनी परीक्षा से परहेज किया।हम किसी समाचार में वर्णित तथ्यों का न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकते है, क्योंकि वे अनुश्रुत तथ्यों के या द्वितीयक साक्ष्य की प्रकृति के हैं, जब तक कि उन्हें बाहरी साक्ष्यों से सिद्ध न कर दिया जाए।समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट केवल सुनी–सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य होती है।समाचार पत्र, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 78(2) में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्दिष्ट दस्तावेजों में से एक नहीं है जिसके द्वारा तथ्य का आरोप को साबित किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत समाचार पत्र की रिपोर्ट के साथ संलग्न वास्तविकता की धारणा को उसमें वर्णित तथ्यों से सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

26. अब यह सर्वविदित है कि समाचार पत्र में दिया गया तथ्यात्मक कथन केवल सुनी–सुनाई बातें हैं और इसलिए, यदि कथनकर्ता न्यायालय में उपस्थित होकर यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता कि उसने कथित तथ्य को समझा है, तो वह साक्ष्य के रूप में अग्राह्य है।इसलिए, अभियुक्त को उन व्यक्तियों को प्रस्तुत करना चाहिए था जिनकी उपस्थिति में अपीलकर्ता 2 के मंगलौर स्थित घर से चोरी की गई धनराशि जब्त की गई थी या समाचार की विषय–वस्तु की सत्यता के प्रमाण के लिए प्रेस संवाददाताओं से पूछताछ करनी चाहिए थी। समाचार पत्रों की रिपोर्टों की स्वीकार्यता के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा सामंत एन. बालकृष्ण बनाम जॉर्ज फर्नांडीज [(1969) 3 एससीसी 238 :(1969) 3 एससीआर 603 :एआईआर 1969 एससी 1201] में विचार किया गया है।वहाँ यह प्रश्न उठा कि क्या बॉम्बे दक्षिण संसदीय क्षेत्र से संसद में लौटे सफल उम्मीदवार श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने शिवाजी पार्क में एक भाषण दिया था, जिसके बारे में बॉम्बे के एक व्यापक रूप से प्रसारित मराठी समाचार पत्र मराठा में बताया गया था, और यह कहा गया था: (एससीसी पृष्ठ 261, पैरा 47) "वास्तव में क्या हुआ था, इसके किसी और सबूत के बिना किसी समाचार पत्र की सामग्री का कोई मूल्य नहीं है।यह अधिक से अधिक एक द्वितीयक साक्ष्य है।यह सर्वविदित है कि संवाददाता जानकारी एकत्र करते हैं और उसे संपादक को देते हैं, जो समाचार को संपादित करता है और फिर उसे प्रकाशित करता है।इस प्रक्रिया में सच्चाई विकृत या विकृत हो सकती है। ऐसी खबरों को स्वयं सिद्ध नहीं कहा जा सकता, हालाँकि यदि अन्य साक्ष्य पुष्ट हों तो उन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ ध्यान में रखा जा सकता है।"हमें निर्णय को अनेक उद्धरणों से बोझिल करने की आवश्यकता नहीं है। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट में अपीलकर्ता 2 के मंगलौर स्थित आवास से चोरी की गई राशि की बरामदगी के तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए अभिलेख में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, हमारे पास अभियोगी 50 और जब्ती के साक्षीयो के कथन को खारिज करने का कोई कारण नहीं है, जो यह स्थापित करते हैं कि प्रश्नगत राशि वास्तव में 29 और 30 तारीख को मद्रास में बरामद की गई थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है।"

12. यद्यपि अपीलकर्ता–बीमा कंपनी ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अलावा, मुर्दाघर सूचना की विषय–वस्तु पर भी भरोसा किया है, तथापि उसने पुलिस विभाग के अन्वेषण अधिकारी या किसी अन्य पुलिस अधिकारी या मुखबिर से पूछताछ नहीं की है।अपीलकर्ता–बीमा कंपनी द्वारा अभिलेख पर लाए गए मामले के तथ्यों की समग्रता पर विचार करते हुए, जो मुख्य रूप से समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर आधारित है, उसे स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों का भी साक्ष्य मूल्य नहीं होता है जब तक कि उनकी पुष्टि उस व्यक्ति के बयान से न हो जाए जिसने सूचना दी या रिपोर्ट दर्ज कराई या जिसने किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को दर्ज किया है।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नान्हू सिंह बनाम जहीर के मामले में 2006 एसीजे 803 मेंइस विवाद्यक पर विचार करते हुए कि क्या दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज केवल प्रस्तुत किए जाने पर ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे, इस प्रकार निर्णय दिया:

"12. उपरोक्त के तहत, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एफआईआर के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है, असंतुलित है और एक तरह से विकृति का मार्ग प्रशस्त करता है।न्यायाधिकरण ने एफआईआर पर भरोसा करके त्रुटिपूर्ण की थी मानो वह सत्य हो या दूसरे शब्दों में कहें तो मानो वह आइंस्टीन के सिद्धांत से तुलनीय हो।उपरोक्त के तहत, हम उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं और तदनुसार इसे खारिज करते हैं।

13.अनावेदक संख्या 1/उत्तरवादी संख्या 3 को लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को साबित करने के लिए दावा न्यायाधिकरण के समक्ष NAW-1-1 के रूप में परीक्षित किया गया है।इस साक्षी से अनावेदक संख्या 3/बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई, हालाँकि, उससे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया कि दुर्घटना के समय वह अपराधी ट्रैक्टर नहीं चला रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, इस न्यायालय की राय में विद्वान दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी की इस तर्क को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि दुर्घटना के समय मृतक स्वयं ही ट्रैक्टर चला रहा था और दुर्घटना का शिकार हो गया था।

15. जहां तक सीपीसी के आदेश 11 नियम 12 के तहत दायर आवेदन में की गई विशिष्ट प्रार्थना के तहत लाइसेंस प्रस्तुत न करने के अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दूसरे तर्क का संबंध है, सीपीसी के आदेश 11 नियम 12 के तहत आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदन में अनावेदक संख्या 3/आवेदक ने दावेदार, स्वर्गीय मेसोराम से लाइसेंस प्रस्तुत करने की प्रार्थना की थी।दावा आवेदन में, आक्षेपित ट्रैक्टर के चालक का नाम मोहम्मद खानिफ खान बताया गया है।अनावेदक संख्या 1, चालक मोहम्मद खानिफ खान का लाइसेंस दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।अनावेदक संख्या 1, आक्षेपित ट्रैक्टर के चालक मोहम्मद खानिफ खान की न्यायाधिकरण के समक्ष एन. ए. डब्ल्यू–1–1 के रूप में जाँच की गई, जिसने अपना लाइसेंस एक्सटेंशन D-1 के रूप में सिद्ध किया।इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि दुर्घटना की तिथि पर वह अपराधी वाहन नहीं चला रहा था।अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अर्थात एक्स. डी1–सी के रूप में चिह्नित लाइसेंस की प्रति और एनएडब्ल्यू–1–1 के अतिरिक्त साक्ष्य के तहत, अपीलकर्ता के वकील का यह कथन कि दुर्घटना के समय मृतक वाहन चला रहा था, रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

16. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर, मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है, इसलिए यह अपील खारिज किए जाने योग्य है तथा तदनुसार खारिज किया जाता है।

सही/-
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur